

छब्बीस सचिवालय

**विषय** याचिका क्रमांक 15034/2015 दीपक उपाध्याय विरुद्ध  
म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर  
द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध शासन  
की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

प/सी/सी  
का विभाग

पंजी क्रमांक 5351/2015 दिनांक 19.11.2015  
परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त।

1/c

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

2/- परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्र में याचिका क्रमांक 15034/15 दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित कर लेख किया गया है कि याचिका में विभाग में पदस्थ आरक्षक जिनके विरुद्ध व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की चयन परीक्षा की लंबित एसटीएफ की जांच के फलस्वरूप विभाग द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 12.8.2015 के द्वारा सेवा से पृथक किया गया था, के विरुद्ध दायर की गई है। जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में ही मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2015 को पारित आदेश से विभागीय सेवा पृथक आदेश दिनांक 12.8.2015 को खारिज (set aside) करते हुए विभाग को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये हैं। याचिका क्रमांक 143345/15 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 8.09.2015 के परीक्षण उपरांत संदर्भित विधिमत में शासकीय अभिभाषक द्वारा आदेश के विरुद्ध शासन (विभाग) की ओर से रिव्यू पिटीशन द्वारा संदर्भित विधिमत के अनुक्रम में शासन विभाग की ओर से रथगन आवेदन सहित रिव्यू पिटीशन दायर किया जाना अति आवश्यक है।

परिवहन आयुक्त द्वारा याचिका में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 संपूर्ण प्रति एवं शासकीय अभिभाषक विधिमत की प्रति संलग्न कर प्रकरण में विधिमत अनुसार शासन/विभाग की ओर उक्त आदेश के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति चाही गई है।



छब्बीस-२ सचिवालय

विषय : याचिका क्रमांक 15034/2015 दीपक उपाध्याय विरुद्ध  
म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर  
द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध शासन  
की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

का विभाग

28/11/15

—00—

अतः परिवहन आयुक्त के प्रस्ताव अनुसार याचिका क्रमांक  
15034/15 दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य  
में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.  
2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने की  
अनुमति प्रदान किये जाने हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग से  
अनुमति प्राप्त करना उचित होगा।

तदुसार आदेशार्थ प्रस्तुत।

अ.अ. (Post Vasant)

28/11/15  
AS (L)

28/11/15  
30/11/15

PS (L)

Transport Commr एवं Govt Advocate का  
अभिमत नीचे प्राप्त है। कृपया प्रकाश के  
Review Petition दायर करने की अनुमति निवेदन  
है।

PS (Law)

(एस.एन. मिश्रा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

9037  
14/11/15

नाली पर प्रकाश की संकेपिका 12/11/15  
किए जाने के बिना उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं  
जाने हेतु नाली बापत की जाती है।

Blanch  
12/11/15  
(रजनी प्रेमजी)  
अवर सचिव  
नियम

परिवहन विभाग



छब्बीस-२ सचिवालय

**विषय :** याचिका क्रमांक 15304/2015 दीपक उपाध्याय विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति वाबत।

*Handwritten signature*  
का विभाग

—00—

कृपया पूर्व पृष्ठ पर अंकित विधि एवं विधायी कार्य विभाग की टीप का अवलोकन करें। जिसमें लेख किया गया है कि नस्ती पर प्रकरण की संक्षेपिका रिव्यू किये जाने के आधार पर उपलब्ध नहीं है। संक्षेपिका सहित प्रकरण उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है।

अतः प्रकरण के संबंध में संक्षेपिका प्रस्तुत कर परिवहन आयुक्त के प्रस्ताव अनुसार याचिका क्रमांक 15034/15 दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु नस्ती संक्षेपिका सहित प्रस्तुत है।

तदुसार आदेशार्थ प्रस्तुत।

Principal Secretary (Tpt.)  
No. 811 Date 16/12/2015

*Handwritten signature*  
15/12

*Handwritten signature*  
अवर सचिव

*Handwritten signature*  
15/12/2015

*Handwritten signature*  
AS

*Handwritten signature*  
16/12

PS(T)

श्री पृष्ठ पर वांछित  
प्रकरण प्रकरण की संक्षेपिका नीचे रखी जा रही है  
Review की अनुमति निवेदित है

8659/21-अ(प्र)  
18/12/15

प्रमुख सचिव  
निधि-विभाग

(ए.एन. विभाग)  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

2829

1648/19/11/15  
16.12.15  
573/15/अ(प्र)  
17/12/15  
8.09.2015

*Handwritten signature*  
12/15



5

आर. नं. 5351/2015/आठ

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय : याचिका क्रमांक 15304/2015 दीपक उपाध्याय विरुद्ध  
म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर  
द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध शासन  
की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

का विभाग

—00—

Principal Secretary (P) 06/09/2016  
No. 871 Date 06/09/2016

महोदय प्रमुख सचिव से संबंधित  
कोटित शासकीय विभाग का मत उपलब्ध  
नहीं है। दिनांक 15.09.15 की  
दीपक उपाध्याय वि. शासन एवं अन्य के  
पारित आदेश क्र. 8/9/15 से संबंधित  
शासकीय विभाग का मत उपलब्ध नहीं  
जाता है। उचित कार्रवाई किए जाने  
संग हो रहेगा।

R. Panchal  
1-1-16

(रजनी पंचाली)  
उपस्थिति  
निधि

परिष्कार विभाग

AS (विभाग) विधि विभाग की डायरेक्टर दीप  
उपस्थिति/डायरेक्टर 06/09/16

प्रमुख सचिव

AS

[Signature]

06/09/16

प्रमुख सचिव  
मुख्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग,  
संचालन, भोपाल

07.09.16



छव्वास सचिवालय

विषययाचिका क्रमांक 15064 / 2015 दीपक उपाध्याय विरुद्ध  
म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर  
द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध शासन  
की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

परिपत्र  
का विभाग

पूर्वसूचना —00—

पूर्वसूचना पर वित्त विभाग की शीप  
के केबल के मापकीप इतिवक्ता का इतिवक्ता  
प्राप्त का प्रस्ताव केन्द्र के वित्त विभाग का इतिवक्ता  
को मिले गये बाके पर का प्रस्ताव क 3)

हस्ता. जडुस

अ. अ.

अपर सचिव

12/1

अ. अ.

12-01-2016

D/सोमना  
13-01-2016

13/1/16

13-01-2016

आवक क्र 176  
दिनांक 14/01/2016



छब्बीस-२ सचिवालय

का विभाग

विषय : याचिका क्रमांक 15034/2015 दीपक उपाध्याय विरुद्ध  
म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर  
द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध शासन  
की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

—00—

पंजी क्रमांक 796/2016 दिनांक 17.2.2016  
परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त।

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

2/- परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्र में याचिका क्रमांक  
15034/15 दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य  
में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.  
2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने की  
अनुमति के संबंध में श्री पीयूष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा.  
उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत दिनांक 18.1.2016 की प्रति  
संलग्न की है।

अतः विधि विभाग की 4/एन पर अंकित टीप अनुसार  
याचिका क्रमांक 15034/15 दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश  
शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक  
8.09.2015 के संबंध में शासकीय अभिभाषक विधिमत अनुसार  
शासन/विभाग की ओर उक्त आदेश के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन  
दायर करने की अनुमति हेतु नस्ती विधि एवं विधायी कार्य विभाग  
को भेजे जाने हेतु प्रस्तुत।

अ.अ.

अवर सचिव

डापर सचिव

PS(T)

PS(Law)

कृपया रिव्यू पिटीशन की अनुमति  
सिद्धि हेतु

मि.प्र.

15-03-2016

जि.डा.6

16/3

26/03/16

(एस.एन. मिश्रा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग,  
मंत्रालय 742 पाल

8393

15/3

Principal Secretary (Tpt.)  
No. 83/16 Date 16/03/2016

6089/24/17  
17/03/16  
180/16/16

क्रमांक  
180/16  
24-316



कमांक 960 / विधि / टीसी / 2016  
प्रति,

प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
परिवहन विभाग,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन,  
भोपाल 46000

विधि / तत्काल / ईमेल

ग्वालियर दिनांक 18-2-16

मध्य प्रदेश शासन

परिवहन विभाग

पंजी क. 796

दिनांक 17/02/16

विषय:-

1. याचिका कमांक 14345 / 2015 श्री अनुराग ठाकुर एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य,
2. याचिका कमांक 14346 / 2015 श्री हेमंत रघुवंशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य,
3. याचिका कमांक 14888 / 2015 श्री पंकज शुक्ला एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य तथा
4. याचिका कमांक 15034 / 2015 श्री दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य
5. याचिका कमांक 16293 / 2015 श्री मनमोहन रघुवंशी
6. याचिका कमांक 17548 / 2015 श्री मनोज कौल
7. याचिका कमांक 19058 / 2015 श्री साहब बहादुर सिंह शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने हेतु।

संदर्भ:-

श्री पीयूष धर्माधिकारी शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत दिनांक 18.01.2016 विषयांकित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध शासन/विभाग की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने हेतु अवर सचिव, मध्यप्रदेश, शासन परिवहन विभाग भोपाल का पत्र क. 3932/3992/15/आठ भोपाल दिनांक 18.11.15 के अनुक्रम में संदर्भित विधिमत की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार विषयांकित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध शासन/विभाग की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संदर्भ :- उपरोक्तानुसार

परिवहन आयुक्त  
मध्यप्रदेश

ग्वालियर दिनांक .....

कमांक ..... / विधि / टीसी / 2016  
प्रतिलिपि:-

1. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संभागीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर की ओर आपके पत्र क. 4001/उ.प.अ./15 कैम्प छतरपुर दिनांक 29.01.16 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परिवहन आयुक्त  
मध्यप्रदेश

12 FEB 2016

80

16/2/16

50/17

7/11





MADHYA PRADESH

 Phone { Office 282721  
 48  
 69  
 Fax 282121

D.O. No. 618

 OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL  
 MADHYA PRADESH, JABALPUR  
 JABALPUR

Dated

To,

January 18<sup>th</sup>, 2016
 The Divisional Dy. Transport Commissioner,  
 Division Jabalpur, (M.P.).

 Sub :- Opinion with regard to the order dated 24.9.2015 in W.P. No.  
 16293/2015 and other identical petitions.  
 Ref:- Your letter dated 18.01.2016 No. 206/S.U.P.A./2016

Sir,

 परिवहन आयुक्त  
 मध्य प्रदेश

Please referred to your above mentioned letter whereby you have sought opinion with regard to filing of Review Petition in reference to the order passed in the Writ Petition as mentioned in your letter. That I have perused the orders passed in the respective writ petitions wherein the issue raised by the petitioners who were working as Transport Constable and their services were terminated by various impugned orders. That according to the petitioners the order of termination was bad in law since there was an allegation of major misconduct against the petitioner involving moral turpitude and without any show cause or enquiry but order being stigmatic in nature was bad in law. That the Division Bench of this Hon'ble Court after hearing the parties to the petition has held that the order is bad in law since the same has been passed without holding any enquiry and keeping in view the fact that the same is stigmatic and there is an allegation of major misconduct involving moral turpitude.

That after perusing the order passed by the Hon'ble Court and the record of the writ petition in my considered opinion the review petitions can be preferred on the following grounds:-

- (a) That the petitioner were appointed on Transport Constable and were on probation and thus there was no requirement of

 निजी कक्ष  
 (परिवहन आयुक्त)  
 201  
 आवक क्रमांक  
 दिनांक 022-1-16

 आ.प्र. 3682, सी.सी./कमि  
 भोपाल/दिनांक 20-1-16



:: संक्षेपिका ::

विषय :- याचिका क्रमांक 15034/2015 दीपक उपाध्याय विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

—00—

परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर द्वारा याचिका क्रमांक 15034/15 दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया। याचिका में विभाग में पदस्थ श्री दीपक उपाध्याय परिवहन आरक्षक जिनके विरुद्ध व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की चयन परीक्षा की लंबित एसटीएफ की जांच के फलस्वरूप परिवहन आयुक्त कार्यालय के आदेश क्रमांक 3957/प्रवर्तन/टीसी/2015 दिनांक 12.8.2015 के द्वारा परिवहन आरक्षक श्री दीपक उपाध्याय को सेवा से पृथक किया गया था, के विरुद्ध दायर की गई है। जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में ही मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 08.09.2015 को आदेश पारित कर परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर के सेवापृथक आदेश दिनांक 12.8.2015 को खारिज (set aside) करते हुए विभाग को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये हैं। याचिका क्रमांक 143345/15 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के परीक्षण उपरांत प्रकरण में श्री पियूष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय जबलपुर से अभिमत प्राप्त किया गया। शासकीय अधिवक्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध शासन (विभाग) की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने हेतु अभिमत दिया गया है। विधिमत के अनुक्रम में शासन विभाग की ओर से स्थगन आवेदन सहित रिब्यू पिटीशन दायर किया जाना अति आवश्यक है।

परिवहन आयुक्त द्वारा याचिका में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 संपूर्ण प्रति एवं शासकीय अधिवक्ता के विधिमत की प्रति संलग्न कर प्रकरण में विधिमत अनुसार शासन/विभाग की ओर मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति चाही गई है।

अतः परिवहन आयुक्त के प्रस्ताव तथा शासकीय अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय जबलपुर के अभिमत अनुसार विविध याचिका क्रमांक 15034/15 दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अनुमति प्राप्त करना उचित होगा।

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग



(1)  
पंजीकृत 57क 314

विधि/तत्काल/ईमेल

कार्यालय, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

उमांवि 5328/विधि/टीसी/2015  
प्रति

ग्वालियर दिनांक 29-10-15

प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
परिवहन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
भोपाल 460030

मध्य प्रदेश शासन  
परिवहन विभाग

पंजी क्र.

दिनांक

5351

19/11/15

विषय याचिका क्रमांक 15034/2015 श्री दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.15 के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यु पिटिशन दायर करने हेतु अनुमति विषयक।

संदर्भ श्री पियूष धर्माधिकारी शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत दिनांक 18.09.15

विषयांकित याचिका विभाग में पदस्थ उन आरक्षक जिनके विरुद्ध व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की चयन रीक्षा की लंबित एसटीएफ की जाँच के फलस्वरूप विभाग द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 12.08.15 के द्वारा सेवा पृथक् किया गया था, के विरुद्ध दायर की गई है। जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में ही मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.15 को पारित आदेश से विभागीय सेवा पृथक् आदेश दिनांक 12.08.15 को खारिज (Set aside) करते ये विभाग को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये हैं। याचिका क्रमांक 14345/15 में मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 08.09.15 के परीक्षण उपरांत संदर्भित विधिमत में शासकीय अभिमाषक द्वारा आदेश के विरुद्ध शासन (विभाग) की ओर से रिव्यु पिटिशन दायर किये जाने का विधिमत दिया गया। विषयांकित याचिका समान प्रकार की है। शासकीय अभिमाषक द्वारा संदर्भित विधिमत के अनुक्रम में शासन विभाग की ओर से स्थगन आवेदन सहित रिव्यु पिटिशन दायर किया जाना अति आवश्यक है।

अतः प्रकरण में विषयांकित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.15 की छायाप्रति याचिका की संपूर्ण प्रति की छायाप्रति एवं शासकीय अभिमाषक के संदर्भित विधिमत की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि प्रकरण में विधिमत अनुसार शासन (विभाग) की ओर से उक्त आदेश के विरुद्ध रिव्यु पिटिशन दायर करने की अनुमति समयसीमा में प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

परिवहन आयुक्त  
मध्यप्रदेश

ग्वालियर दिनांक .....

क्रमांक ...../विधि/टीसी/2015

प्रति

- संभागीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर की ओर, आपको उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रिव्यु पिटिशन दायर किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अति. महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से संपर्क कर शासन/विभाग की ओर से स्थगन आवेदन सहित रिव्यु पिटिशन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शासन स्वीकृति की प्रत्याशा में दायर करें, तथा रिव्यु पिटिशन की छायाप्रति कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन सहित शासन एवं इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परिवहन आयुक्त  
मध्यप्रदेश

(17)

06/10/2015

50/17/71X

20/11/15



FROM :

FAX NO

18 Sep. 2015 4:44PM P1

2

GOVERNMENT ADVOCATE



MADHYA PRADESH

Phone { Office : 2678740  
2678185  
Fax : 2621216

O. O. No. ....

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL  
MADHYA PRADESH, JABALPUR  
JABALPUR

Dated .....  
September 18, 2015

To,

1. The Principal Secretary,  
Govt. of M.P.,  
Law & Legislative Affairs Department,  
Vindhyachal Bhawan,  
Bhopal.
2. The Principal Secretary,  
Govt. of M.P.,  
Department of Transport,  
Mantralaya, Vallabh Bhawan,  
Bhopal.
3. The Transport Commissioner, Gwalior.

Sub :- Opinion in W.P. NO. 14345/15-Anurag Thakur V/s State of MP & Others.

Please find enclosed herewith the copy of order passed by the Hon'ble High Court in the above petition.

In my opinion, it is a fit case to file review.

Encl.:- As above.

(PR)  
VIYUSH DHARMADHIKARI  
GOVERNMENT ADVOCATE



*Copy of order sheet*  
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

W.P. No. 15034/2015

Petitioner:

DEEPAK UPADHYAY S/O PURUSHOTTAM

UPADHYAY R/O MINAKSHI CHOWK

NEAR ICICI BANK HOSHANGABAD,

HOSHANGABAD M.P.

VERSUS

Respondents:

Add. T.C. (A)

STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH

PRINCIPAL SECRETARY TRANSPORT

DEPARTMENT, MANTRALAYA VALLABH

BHAWAN BHOPAL (MP) 462011

SPECIAL TASK FORCE HEADQUARTER

JAHANGIRABAD BHOPAL, 462008

DIRECTOR M.P. VYAVASAYIK PARIKSHA

MANDNAL, CHAYAN BHAWAN, CHINAR PARK

(EAST) MAIN ROAD NO.1 BHOPAL [M.P.]

462011

TRANSPORT COMMISSIONER GWALIOR M.P.

PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION  
OF INDIA

PARTICULARS OF THE CAUSE/ORDER AGAINST WHICH THE PETITION IS MADE:-

No. & Date of order: 3957/प्रवहन/टीसी, dated 12/08/15

Issued by:- TRANSPORT COMMISSIONER, GWALIOR M.P.

Subject in brief:- The Petitioner is aggrieved with the order dated 12/08/15 whereby the services of the petitioner as transport constable [Parivahan Shiksha] has been terminated without following the due process of law. The

120400083  
30/9/15

5825  
09-10-15

19/11/15  
By A Gupta  
Presentation Assistant

प्रवहन/टीसी  
21/10/15  
3/11/15



# HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

ORDER SHEET



CASE No. 201.....

Vs.....

DATE OF THE ORDER	ORDER
	<p style="text-align: center;"><u>W.P.No. 15034/15</u> <u>Deepak Upadhyaya vs. State of M.P.</u></p> <p><u>08.09.2015</u></p> <p>Shri Amitabh Gupta, Counsel for the petitioner.</p> <p>Shri Piyush Dharmadhikari, learned G.A. for the respondents/State.</p> <p>With consent heard finally.</p> <p>By filing this petition under Art.226 of the Constitution of India, the petitioner has called in question the order (Annexure P-3) dated 12.8.2015.</p> <p>Briefly stated, the petitioner has been appointed on the post of Constable [Transport Department]. On account of misconduct his services were terminated by the impugned order stating therein that as he is involved in major misconduct, his services cannot be continued.</p> <p>Learned counsel for the petitioner submits that prior to passing of the impugned order a show cause notice was issued of which reply was filed by the petitioner denying the allegation but without holding any enquiry about the same, the services of the petitioner has been terminated by impugned stigmatic order.</p> <p>Shri Piyush Dharmadhikari, learned Government Advocate on the other hand submits</p>